

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-5/2017/

दिनांक:

-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	मदनलाल स्वागी, नर्स प्रथम	चूरु	26.09.88	26.09.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	आशा पाठक, नर्स प्रथम	अजमेर	18.11.89	18.11.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	विमला जाटव, नर्स प्रथम	जयपुर	26.04.99	26.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
4.	रमेश चन्द साहु, नर्स प्रथम	बूंदी	19.07.88	19.07.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	सुनीता, नर्स प्रथम	जयपुर	17.04.99	17.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
6.	पुरुषोत्तम शर्मा, नर्सिंग ट्यूटर	धौलपुर	01.06.98	01.06.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
7.	मरियम यू, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	02.11.89	02.11.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	भोमाराम जाट, नर्स प्रथम	जयपुर	19.09.89	19.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	गणेश लाल रोत, नर्स प्रथम	डूंगरपुर	24.11.88	24.11.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	सुरेश कुमार साकरवाल, नर्स प्रथम	दौसा	09.12.98	09.12.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
11.	मोईनुद्दीन, नर्स प्रथम	नागौर	18.09.89	18.09.16 27वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

cd
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक: 04-08-2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-5/2017/408

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर/जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर/महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर/सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ चूरु/बूंदी/धौलपुर/चित्तौड़गढ़/जयपुर द्वितीय/दौसा/नागौर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरन बूंदी/सांभरलेक।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर